



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.-NCST/SER-1029/MHUA/5/2023-SSW

दिनांक: 20.06.2025

सेवा में

श्री धन्ना उराँव,
हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड,
जंगपुरा, नई दिल्ली
Mobile No: 9910102812

विषय: हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ भेद भाव करने के संबंध में - श्री धन्ना उराँव (Sr. Token Attendant), हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली का दिनांक **12.05.2023** का अभ्यावेदन।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा संबंधित प्राधिकारीगण के साथ दिनांक **30 जून, 2025 (सोमवार)** को **15.40 बजे** आयोग मुख्यालय में सिटिंग/सुनवाई निश्चित की है। तदनुसार संबंधित प्राधिकारी को अलग से समन/सिटिंग नोटिस भेज दिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप भी प्रकरण के दस्तावेज सहित उक्त सिटिंग में समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

दूरभाष/Tele: 011-24615012

E-mail : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to: -

NIC for uploading